न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 170 सन 2022

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल पुत्र लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर।
2. धापी पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर।
3. मोहनी पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर।
4. बनवारी पुत्र भंवरी पत्नी निराजाराम पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. दलीप पुत्र भंवरी पत्नी निराजाराम पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 101/143 की कुल 8.9280हैक में वादी के नाम 0.6124हेक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.6122 , प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.1020हैक एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 की माता के नाम 0.1021हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.1020हैक भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 199/192 की कुल 4.9320हैक में वादी अकेला 0.411हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.411हैक व वादी की माता सिगारी के नाम 0.411हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि` वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिगारी एव भंवरी के नाम से दर्ज है सिगारी वादी की माता है एवं भंवरी वादी की बहन है जिनका देहानत हो चुका है सिगारी एवं भंवरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो सिगारी एवं भवरी के नाम से दर्ज भूमि एव सिगारी के हिस्से में भवरी के हक हिस्सा की भूमि का पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी के भानजे एवं वादी की बहन भंवरी के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या के हक हिस्सा की भूमि है जिसे रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

Scanned with CamScanner

1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,सिगारी एवं भवंरी के नाम से दर्ज हे सिगारी जो वादी की माता है एवं भंवरी जो वादी की बहन है का देहान्त हो गया है सिगारी के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं भवंरी देवी है तथा भवरी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है अर्थात सिगारी एवं भवंरी के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 101/143 की कुल 8.9280हैक में वादी के नाम 0.6124हेक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.6122 , प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.1020हैक एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 की माता के नाम 0.1021हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.1020हैक भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 199/192 की कुल 4.9320हैक में वादी अकेला 0.411हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.411हैक व वादी की माता सिगारी के नाम 0.411हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि` वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिगारी एव भंवरी के नाम से दर्ज है सिगारी वादी की माता है एवं भंवरी वादी की बहन है जिनका देहानत हो चुका है सिगारी एवं भंवरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो सिगारी एवं भवरी के नाम से दर्ज भूमि एव सिगारी के हिस्से में भवरी के हक हिस्सा की भूमि का पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी के भानजे एवं वादी की बहन भंवरी के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 101/143 की कुल 8.9280हैक में वादी के नाम 0.6124हेक प्रतिवादी रांख्या 1 के नाम 0.6122 , प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.1020हैक एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 की माता के नाम 0.1021हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.1020हैक

Scanned with CamScanner

भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 199/192 की कुल 4.9320हैक में वादी अकेला 0.411हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.411हैक व वादी की माता सिगारी के नाम 0.411हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,सिगारी एवं भवंरी के नाम से दर्ज हे सिगारी जो वादी की माता है एवं भंवरी जो वादी की बहन है का देहान्त हो गया है सिगारी के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं भवंरी देवी है तथा भवरी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है अर्थात सिगारी एवं भवंरी के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 101/143 की कुल 8.9280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1.5307 हैक भूमि बहिब के खतोदार काश्तकार है एव रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 199/192 की कुल 4.9320हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सयुक्त तौर से 1.233हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व सिंगारी पत्नी लिच्छुराम का नाम कलमजन किया जाता इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल पुत्र लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अमीलाल पुत्र लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर।
2. धापी पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर।
3. मोहनी पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर।
4. बनवारी पुत्र भंवरी पत्नी निराजाराम पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. दलीप पुत्र भंवरी पत्नी निराजाराम पुत्री लिच्छुराम जाति नायक निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 170 सन 2022 निर्णय दिनांक–13/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 101/143 की कुल 8.9280हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1.5307 हैक भूमि बहिब के खतोदार काश्तकार है एव रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 199/192 की कुल 4.9320हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सयुक्त तौर से 1.233हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व सिंगारी पत्नी लिच्छुराम का नाम कलमजन किया जाता इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner